न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

एफ०आर० सं0-151/2025

कं0 नं0-156/2025

कुलदीप बनाम अज्ञात।

अपराध संख्या-242/2024

धारा -305(ए) बी०एन०एस०।

थाना-डिलारी, मुरादाबाद।

आदेश

<u>01.07.2026</u>

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि मु0 अ 0 सं0 -242/2024 अन्तर्गत धारा -305(ए) बी०एन०एस० थाना-डिलारी, जिला मुरादाबाद में अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। उक्त प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। वादी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित आया और उसके द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त मुकदमें को आगे चलाना नहीं चाहता है। अतः पुलिस द्वारा प्रेषित एफ 0 आर 0 स्वीकृत करने की कृपा करें।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

चूंकि वादी मुकदमा द्वारा कथन किया गया है कि वह उक्त वाद को चलाना नहीं चाहता है। एफ 0 आर 0 पर कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर भी किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में पुलिस द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक 01.07.2026

(विभव चन्द्रा)

सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,

ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

जे0 ओ 0 कोड यू0 पी0 3748